कारंजा अस्पताल में एएनएम से प्रसव कार्य न कराने का मामला सही

एसडीएम ने सीएमएचओ को कार्रवाई के निर्देश दिए

लांजी (जबलपुर एक्सप्रेस)।

तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम कारंजा के शासकीय अस्पताल में पदस्थ एएनएम नर्मदा ठाकरे के द्वारा कराये गये प्रसव की संस्था निरंक मामले में स्थानीय एसडीएम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर फैसला देते हुये उक्त शिकायत को सही बताया है और नियमानुसार कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालाघाट को पत्र लिखा है। विदित हो कि शिकायतकर्ता आशिष भण्डारकर निवासी बिसोनी शिकायत में बताया गया था कि कारंजा हास्पिटल में पदस्थ ए.एन.एम नर्मदा ठाकरे के के संबंध में आरटीआई के जरिये जानकारी निकाली गई थी जिसमें बताया गया था कि एएनएम ठाकरे द्वारा पदस्थापना से लगभग दिनांक तक निरंक प्रसव कराये गये है, इसलिये उक्त एएनएम के खिलाफ उचित कार्यवाही कर कार्य मुक्त किये जाने के संबंध के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया किया गया था।

यहां विशेष उल्लेखनीय है कि उक्त संबंध में अनावेदक नर्मदा ठाकरे को ने एसडीएम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुये बताया था कि कारंजा हास्पिटल में पदस्थ तौकर उच्चअधिकारियों के निर्देशानुसार ओपीडी कार्य सम्पादित करती हूं तथा नियमित रूप से अपने कर्तव्य का पालन करते चलो आ रही हूं। अपने कर्तव्य के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है। शिकायतकर्ता के द्वारा की गई शिकायत पूर्ण रूप से झूठी एवं बनावटी है।

बीएमओ और मेडिकल ऑफिसर का जवाब टर्निंग पाईंट

वहीं इस मामले में स्थानीय बीएमओ अक्षय उपराड़े ने प्रतिवेदन के जरिये बताया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कारंजा में प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपादित किये जाने के लिये प्रस्तुति कार्य में दक्ष (एस. बी.ए. प्रशिक्षण प्राप्त) 02 नर्सिंग ऑफिसर एवं 01 ए.एन.एम से प्रसव संबंधित कार्य संपादित किये जाते थे तथा एक ए.एन.एम नर्मदा ठाकरे द्वारा ओपीडी से संबंधित कार्य संपादित किये जाते है। जिसके बाद लांजी

एसडीएम ने इस मामले में अपना फैसला देते हुये बताया कि जबलपुर एकसप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायत के संबंध में मेडीकल ऑफिसर कारंजा के मेडिकल ऑफिसर से जवाब मांगा गया, जिस पर मेडीकल ऑफिसर, द्वारा अपने जवाब बताया गया है कि कारंजा हास्पिटल में पदस्थ ए.एन.एम नर्मदा ठाकरे प्रसव का कार्य नहीं करती है। उनके द्वारा ओपीडी से संबंधित कार्य संपादित किये जाते है। नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारियों का कार्य विभाजन का कार्य खण्डर्चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लांजी के द्वारा किया जाना बताया गया है।

उचित कार्यवाही हेतु लिखा पत्र

अधिकारार इस मामले में अपना फैसला देते हुये एसडीएम लांजी ने कहा कि तथ्यों से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत सही पाई गई है एवं कारंजा हास्पिटल में पदस्थ ए.एन.एम नर्मदा ठाकरे एक प्रशिक्षित, ए. एन. एम है। उनके द्वारा प्रसव का कार्य न किया जाकर ओपीडी से संबंधित कार्य किया जाना बताया गया है। कारंजा हास्पिटल में पदस्थ ए.एन.एम नर्मदा ठाकरे द्वारा प्रसव कार्य संपादन नहीं किये जाने से आसपास के गर्भवती ग्रामीण महिलाओ को असाधारण रूप से 9 किलो मीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लांजी में रिफर कर दिया जाता है जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले का पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय बालाघाट को लिखकर नियमानुसार उचित कार्यवाही करने को कहा गया है।

यदि इस मामले में उचित कार्यवाही हेतु जारी पत्र पर्याप्त पाया बालाघाट को भी प्रेषित किया गया है, तो यहीं शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि प्रसव जैसे गंभीर मामले में जिला अधिकारी बालाघाट, मुख्य कार्यपालन अधिकारी बालाघाट इस मामले में दोषी कर्मचारियों पर नहीं कार्रवाई नहीं करते है तो उन्हें ही इस मामले में पार्टी जानिया बनाया जाकर उच्च न्यायालय में दायर की मुकदमा कार्यवाही कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारियों को भी पार्टी बनाकर गर्भवती महिलाओं के लिए न्याय की मांग की जायेगी।

नगर परिषद ने जारी की सार्वजनिक सूचना

उल्लंघन करने पर वसूला जायेगा अर्थदण्ड

लांजी (जबलपुर एक्सप्रेस)।

स्वच्छ लांजी हेतु एक कदम और आगे बढ़ते हुये नगर परिषद लांजी के द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की गई है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए गए हैं और सीएमओ मगूर ताहेरे ने बताया कि नगर परिषद अध्यक्ष रेखा तारचंद कालखेले के मार्गदर्शन में पूर्ण रूप से लांजी नगर में भी प्रभावी हो गए हैं, और निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत नवीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 लागू कर दिये गए हैं। जिसके अनुसार थोक कचरा उत्पादक की परिभाषा अनुसार भारी मात्रा के अपशिष्ट जनित जो इकाइयां जो निम्नलिखित मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करते हो 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भवन या प्रतिदिन 40,000 लीटर पानी की खपत, प्रतिदिन 100 किलो ग्राम ठोस अपशिष्ट उत्पादन सम्मिलित है।

उक्तानुसार निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मैरीज गार्डन, होटल/रेस्टोरेन्ट, धर्मशाला, छात्रावास, सामुदायिक भवन, रहवासी संघ एवं अन्य संस्थान

आदि जो कम से कम एक मानदंड को पूरा करते है तो वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम-2026 के अनुसार थोक कचरा उत्पादक की श्रेणी में माने जावेंगे। जिनके लिये निर्देश है कि सभी थोक कचरा उत्पादकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार केन्द्रीकृत पोर्टल पर पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। संस्थान में उत्पन्न गीले, सूखे एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को पृथक्कीकृत कर एकत्र करना। एकत्र गीले कचरे का संस्थान में ही निष्पादन करना। पिट कम्पोस्टिंग, बायोगेस या ओ डब्यू.सी. मशीन या अन्य माध्यमों से कचरे का निष्पादन करना।

प्रतिदिन उत्पन्न कचरे के नियमानुसार प्रबंधन हेतु कंचर टेकर को नियुक्त करना। निष्पादित गीले कचरे से उत्पन्न खाद का उपयोग करना। संस्थान से निकलने वाले सूखे एवं अन्य अपशिष्ट को निकाय के अधिकारिक कचरा संग्राहक को सौंपना। प्रतिदिन प्रसंस्कृत किये गये गीले अपशिष्ट एवं उत्पन्न खाद की लॉग बुक का संधारण करना। उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सभी थोक कचरा उत्पादक अपने परिसर में ही कचरे का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा निकाय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। यदि उल्लेखित संस्थान आदि उक्त अधिनियम का उल्लंघन करते पाए जाते है, तो संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं राशि रूपये 500 प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा।

सबसे दूर- सबसे पहले अभियान के तहत बैगा आदिवासियों तक पहुंचीं शासन की योजनाएं

बैहर (जबलपुर एक्सप्रेस)।

प्रधानमंत्री की परिकल्पना से प्रेरित विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत जनभागीदारी अभियान -सबसे दूर, सबसे पहले- का आयोजन 18 मई से 25 मई 2026 तक किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना, उनकी विरासत को समृद्ध करना और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना है।

इसी क्रम में 21 मई 2026 को ग्राम पंचायत मोहबट्टा में जमीनी स्तर पर जनसुनवाई, जागरूकता अभियान और पात्रता समाधान जैसी गतिविधियों का संचालन किया गया। कार्यक्रम में सरपंच एवं सचिव की उपस्थिति में तेजाल अधिकारी आलोक चौरे, प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैहर ने बैगा एवं अन्य आदिवासी लाभार्थियों से सीधे संवाद कर शासन की योजनाओं की वास्तविक

स्थिति की जानकारी प्राप्त की।

इस दौरान लाभार्थियों ने बताया कि शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे पक्का मकान, पोषण आहार, आधार अनुदान, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, पेयजल सुविधा, हर घर नल से जल, सड़क, बिजली और मुफ्त राशन जैसी सुविधाओं का लाभ समुदाय के लोगों तक पहुंच रहा है। अभियान के तहत अधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनीं और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का अवलोकन किया। इससे आदिवासी समुदाय में शासन के प्रति विश्वास और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैहर के लिपिक भौतेकर, गोडाने, आगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित ग्रामीण महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

तालाब का निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर मछुआ समाज ने विधायक पटेल का जताया आभार

निर्माण कार्य पूर्ण के पश्चात किसानों और मछुआरों को नहीं होगी कोई परेशानी - विवेक पटेल

वारासिवनी (जबलपुर एक्सप्रेस)।

पिछले वर्ष मूसलाधार बारिश के चलते ग्राम लालपुर, बकेरा का तालाब फूट जाने के चलते हजारों क्विंटल मछली सहित किसानों की खेती को भारी नुकसान हुआ था।शिकायत मिलने के पश्चात विधायक विवेक विक्की पटेल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके स्थल पहुंचकर निरीक्षण कर किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा सहित तालाब का जल्द जीर्णोद्धार करवाने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया था।विधायक विवेक विक्की पटेल के प्रयासों के बाद दोनों ही तालाब का लगभग 35 लाख रुपयों की लागत निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।

जानकारी मिलने के बाद दर्जनों मछुआरा समाज व ग्रामीण विधायक विवेक विक्की पटेल के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे और विधायक विवेक पटेल का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मांगलाल

मेश्राम, तेजलाल उईके, योगेश लाडे, दामोदर बागडे, कुंजीलाल उईके, संतलाल मरकोले सहित वारासिवनी मौजूद रहे।

विधायक के प्रयासों से स्वीकृत हुआ था तालाब का निर्माण कार्य - ईश्वर दयाल ऊके

डीमर समाज के जिलाध्यक्ष ईश्वर दयाल ऊके ने बताया कि 2025 में बारिश के समय ग्राम लालपुर, बकेरा का तालाब फूट गया था। जिससे हजारों क्विंटल मछली खेतों में बह चुकी थी वहीं किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई थी। हमारे द्वारा कई बार तालाब के जीर्णोद्धार के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया था।मगर किसी भी अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी।जिसके पश्चात हमने विधायक विवेक पटेल को इस बारे में अवगत कराया था।विधायक विवेक पटेल के प्रयासों के बाद अब तालाब का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अब किसानों को परेशानी नहीं होगी और उस तालाब में मछली पालन करके परिवार का भरण पोषण करेंगे।

विधायक विवेक विक्की पटेल ने कहा कि मूसलाधार बारिश में ग्राम बकेरा,लालपुर का तालाब फूट गया था।जिससे मैकड़ों किसानों की मछली बर्बाद हुई थी।किसानों की परेशानी को देखते हुए मैंने विधानसभा सत्र में भी इस विषय में बात रखी थी।जिसके बाद तालाब के जीर्णोद्धार के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई थी। इस तालाब का जीर्णोद्धार का कार्य भी लगभग पूर्णता की ओर है। तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात मछुआरों को अब रोजी रोटी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा।वहीं किसानों को खेती करने में पानी की समस्याओं से जूझना भी नहीं पड़ेगा।

अंडादान स्वरूप आई हुई राशि हो गई वापस - बेनीराम मेश्राम

जिला सचिव बेनीराम मेश्राम ने बताया कि पिछले 2022 से तो मछुआरा अंडादान के रूप में हर मछुआरों को लगभग एक हजार पांच रुपए जमा करता है मगर 2023 से पैसा नहीं आ रहा है। जब मछुआरों समाज ने धरना प्रदर्शन किया तब 2024 और 2025 का पैसा आया। हमें कोई राशि नहीं मिली। निगम की लापरवाही से वह राशि वापस लौट गई। मछुआरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि और लाड़ली योजना का पैसा बराबर मिल रहा है। मछुआरों का पैसा अभी तक मिल पाया है।

In The Court Of
Pranesh Kumar Prain
Principal District and Session Judge,
Balaghat
Presiding Officer:
प्रणेश कुमार प्राण
अध्यक्ष एवं अपील धारा 7 प्रतिकर अधिनियम 1990
1 विशेष कोकरा जिला बालाघाट कोकरा
2 दूर्गा कोकरा जिला बालाघाट कोकरा निवासी वार्ड नंबर 6 वारासिवनी हिर्री तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट .....आवेदकगण
विरुद्ध
1 बीमनी प्रभा पति अशोक लोकेश निवासी ग्राम कुरमुरा तहसील लांजी जिला बालाघाट म.प्र.
2 मैसेज टे मो पिता अनंत टे मो निवासी ग्राम टेमा तहसील वारासिवनी
3 तहसीलदार.....अनावेदकगण
Process Id-450/2026
नोटिस मियाद- 21/07/2026
(1) अपील धारा 173- अपील संबंधित आवेदक एतद् सूचित किया जाता है कि आवेदकगण जिला कोकरा एवं दुर्गा कोकरा ने अपील धारा 7 प्रतिकर एवं प्रतिपूरण अधिनियम 1990 के अंतर्गत मृतक की पुत्र वर्ग एवं संरक्षक एवं प्रतिकर संबंधित कार्यवाही एवं आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।
एतद् कि आवेदकगण ने अनावेदकगण
1 एवं अनावेदक नं. 2 ने उनका कथन पुत्र वर्ग जिसकी उम्र 2 वर्ष 12 माह है जिसके नैसर्गिक माता पुत्र कोकरा (अपील) क्र. 1 एवं नैसर्गिक पिता बैमनी टे मो (अपील) क्र. 2) है जिनका स्वर्गवास ने पिछले दिनांक हो चुका है। आवेदकगण ने उक्त आवेदन में प्रतिकरात्मक विवरा है कि वर्ष के जाने पश्चात एवं मृत्यु के पश्चात विवरा उक्त का एवं है तथा ने उनकी वैधक स्वरूपा आदि के लिए अपील क्रम में समक्ष है अतः अर्थ पुत्र वर्ग का अभिभावक नियुक्त किया जाने जिससे कि वे उनकी उचित देखरेख, वैधक आदि सहित कर सके सके।
अतः यदि किसी व्यक्ति को आवेदकगणों के अभिभावक / संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने अथवा अपील के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वेसे अपील के समक्ष अपील के समक्ष में उपस्थित होकर मूलतः उपस्थित यदि अनुपस्थित रहे तो उपरान्त की कुनाई एक पक्षीय की जाकर उपरान्त उक्त विनिश्चय किया जायेगा।
प्रणेश कुमार प्राण
प्रधान जिला न्यायाधीश
बालाघाट (म.प्र.)

-: आम सूचना :-
मैं भानुप्रताप बघेल उम्र 21 वर्ष पिता श्री लखन बघेल जाति मरार निवासी वार्ड न. 03 ग्राम पंचेट मलेथी तहसील व जिला बालाघाट म.प्र. का निवासी हूं। मैं कानूनी तौर पर घोषित करता हूं कि मैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शैक्षा संस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षण परीक्षा वर्ष 2025 में कक्षा 10वी की परीक्षा ओपन छात्र के रूप में शामिल उत्तीर्ण हो चुका हूं, तथा संस्थान द्वारा मुझे कक्षा 10वी उत्तीर्ण की अंकसूची जारी की गई है। जारी की गई अंकसूची में मेरा नाम भानुप्रताप पिता का नाम सनातन बघेल का नाम सुगन्दा दर्ज है। यह कि मेरे व मेरे माता पिता के नाम के पश्चात तलेगा बघेल दर्ज नहीं होने से भविष्य में मुझे सरकारी दस्तावेजों का सत्यापन करवाने पर सकता है। इस हेतु कक्षा 10वी अंकसूची में मेरा व मेरे माता पिता का नाम इस प्रकार दर्ज किया जाये :-
छात्र का नाम भानुप्रताप बघेल BHANUPRATAP BAGHEL
पिता का नाम सनातन बघेल SANATAN BAGHEL
माता का नाम सुगन्दा बघेल SUGANDHA BAGHEL
यह कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी तथ्य व सही है। किसी भी तरह का छिपाया नहीं है। अतः उपरोक्त सुधार नाम एवं तलेगा दर्ज कर मुझे कक्षा 10वी की अंकसूची जारी किया जाकर उचित व न्यायसंगत होगा।
अतः सधन्य प्रस्तुत है।
बालाघाट, दिनांक 12.06.2026
भानुप्रताप बघेल

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार हैलेन्द्र ताम पिता स.एल. तेल ग्राम, निवासी वार्ड नं0- 13 सुर्री बालाघाट द्वारा निवासीय जैसाबाद अ 41 वर्ष, जिला बालाघाट जैसाबाद, निवासी वार्ड नं0-4 खोराबा के कब्जे व मालकी वाली मौजा लांजी, प0ह0नं0- 0 ख0नं0-0 क्षेत्रफल, तहसील तथा जिला बालाघाट के 80-0-101/1 हेक्टा 1.9570 हेक्टेर भूमि का दिनांक 15.08.2025 को 19,50,000/- रूपा में सौदा तय निवासीय जैसाबाद को 6,00,000/ रूपा बयाने में नगद रूपा कोन पेके पक्षकार से प्राप्तिया लया था तथा उक्त भूमि की रजिस्ट्री जनवरी 2026 में तय किया गया था।
दिनांक 17.01.2026 को प्रपत्ति सौदेपत्र मूमि का नाप लाने गए थे, तब मेरे पक्षकार हैलेन्द्र ताम को पता चला कि निवासीय जैसाबाद द्वारा जिला भूमि को रजिस्टार मे पक्षकार के साथ सौदा किया गया है, उक्त भूमि पर महाकाल परिवार द्वारा शासन की योजनानुसार सदाश्य निर्माण कार्य किया गया है तथा मौजाना निवासी द्वारा भी कुछ भूमि पर सदाश्य किया गया है। मेरे पक्षकार द्वारा निवासीय जैसाबाद को उक्त व्यक्तियों के कब्जे को हटाने कहा गया, किन्तु निवासीय जैसाबाद द्वारा उक्त का प्रकार प्रतिवादित स्थिति में छोड़ी जाने की इच्छा नहीं पक्षकार का दावा बना रहा है। मेरे पक्षकार ने विवादित भूमि के कब्जे की बात कहा तो निवासीय जैसाबाद को कुछ भी कह कि कब्जा लेने से इंकार कर दिया है तथा प्रतिवाद करने एवं लाभ लेने एवं भूमि पर भी दूसरा व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि प्रपत्ति सही एवं लाभ लेने एवं भूमि पर भी पक्षकार के साथ अनुबंध है तथा मेरे पक्षकार के द्वारा बनाने की बात भी भ्रम की नहीं है। अतः प्रपत्ति भूमि को दान करने का सौदा नहीं किया जाने एवं विक्रय न किया जाने। यदि दान-विक्रय का सौदा किया जाता है तो आपसे भी कानूनी कार्यवाही में प्रस्तुत होना पड़ेगा, जिसमे होने वाले संपूर्ण खर्चों के उत्तर स्वयं जिम्मेदार व उत्तरदायी होंगे।
चाहते सूचना जारी।
बालाघाट, दिनांक 21/05/2026
एन. पी. एड़े
अधिवक्ता बालाघाट
मो0-9096434052

पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाऊ गाड़ेश्वर ने जामसावली में टेका माथा

वारासिवनी (जबलपुर एक्सप्रेस)।

पूर्व लालबर्रा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं वर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव भाऊराम गाड़ेश्वर ने बुधवार, 20 मई को शाम 6 बजे सपरिवार छिंदवाड़ा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जामसावली पहुंचकर संकटमोचन हनुमान जी के दर्शन किए।

इस धार्मिक प्रवास के दौरान भाऊराम गाड़ेश्वर के साथ उनकी

पत्नी श्रीमती ज्ञानेश्वरी गाड़ेश्वर एवं परिवार के अन्य सदस्य भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने जामसावली मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान हनुमान जी के चरणों में माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया।

भाऊराम गाड़ेश्वर ने इस अवसर पर भगवान बजरंगबली से क्षेत्र की सुख, समृद्धि और आमजन की खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा से क्षेत्र में अमन-चैन बना रहे और सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ वे प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया परिवार का धन्यवाद भी किया।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
अंचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस ई-नीलामी दिनांक- 30/06/2026
क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा - दूसरे फ्लोर भवन के पास, चित्रगुप्तेश्वर मंदिर रोड, छिंदवाड़ा (म.प्र.)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित नियम सातवें का प्रतिभूतिकर्ता और गुणकित तथा
प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
आम जनों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रतिभूति-दाता को यह नोटिस किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/हायपोथेक के अधिकार में बंधक किया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, बिना सहारा के", के आधार पर "ई-नीलामी विक्रय" के माध्यम से निम्न-वर्णित तारीख को प्रतिभूत लेनदार को बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु निम्नवत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	ऋण खाता/ कर्जदारों/ प्रतिभूति दाता/ जमानतदाता एवं अधिकृत शाखा	मांग सूचना दिनांक/ अधिकार दिनांक/ बकाया राशि (सांकेतिक सूचना के अनुसार)	सांकेतिक अचल संपत्तियों का विवरण/ जमाने का प्रकार	आरक्षित मूल्य/ अर्नेस्ट मनी जमा राशि/ बिड वृद्धि राशि
1	(1) पिंकशॉ. सलाम ब्रह्मदीन (ऋणकर्ता) श्रीमा. श्रीमती किरणकलावती भदावल पति श्री. सुशील कुमार भदावल पता कार्यालय 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) (2) स्व. श्री जैसराम भदावल पिता श्री. मनोहरलाल भदावल (गारंटीदाता/ संपत्ति गारंटीदाता/संपत्ति बंधककर्ता (बंधककर्ता) कानूनी वारिस के माध्यम से 1. श्री. मनकलाल भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 2. श्री. ज्ञानेश्वर भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 3. श्री. मंगल कुमार भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल -वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 4. श्रीमती. संतोषबाई भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 5. श्रीमती जैसरा भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 6. श्रीमती मनोज भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 7. श्री. सुशील कुमार भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 8. और अन्य भदावल कानूनी वारिस संबंधित शाखा: कन्हारी	29/10/2025 13/02/2026 रु. 52,95,845.00 + भविष्य ब्याज + विविध खर्च	ग्राम कोहर भूमि एवं भवन संपत्ति पटवारी हल्का नं. 13 /2 सीमाना 72 वर्गमीटर, नमूना सीट नं. 348, नमूना प्लाट नं. 150, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) भू. माली / संधककर्ता: 1. स्व. श्री जैसराम भदावल पिता श्री. गणेशलाल भदावल मधु-श्री: 1. स्व. रामबाई बाई का दुसरा नामांन, दक्षिण- मनोहरलाल का प्लाट, पूर्व- रोड, पश्चिम -नमोहन चौरसिया का प्लाट संकेतिक कब्जा	रु. 56,58,000/- रु. 5,65,800/- रु. 10000/-

विक्रय के नियम और शर्तों के बारे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट यानि www.centralbank.bank.in देखें या बैंक मुख्यालय सेवा प्रदाता PSB alliance के वेबपोर्टल http://baanknet.com पर अथवा सिंक टैक्नो, ईमेल कार्यालय छिंदवाड़ा प्राधिकृत अधिकारी (मो. 9109456445) से संपर्क कर सकते है। दो अधिकारी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन पांच (30) दिनों की देयानिक विक्रय सूचना है।
दिनांक: 22/05/2026
कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

न्यायालय तहसीलदार
वारासिवनी जिला बालाघाट
रा.प्र.क्र.2467 / अ-6 / 2025-26
ग्राम- खैरलांजी प.ह.न. 25/27
तहसील वारासिवनी जि. बालाघाट
इश्तेहार
(नियम 18.05.2006)
एतद् द्वारा आम जनता सीधा संबंधी प.ह.न. 25 / 27 राजस्व निरीक्षक मंडल वारासिवनी तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट को सूचित किया जाता है कि आवेदक अरुण पिता देवकीनन्दन तिवारी ग्राम खैरलांजी जिला बैतूल म.प्र. द्वारा भूमि संबंधी की अपनी भूमि कलम न. 74 रकबा 1.619 हे. मूल्य वर्तमान के आधार पर नामांतरण के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है तहसीलदार वारासिवनी की केसलिस्ट की सुनवाई दिनांक 28.10.2026 को सुनवाई होने से मृतक का नाम विरासीन कर मृतक के विधिक वारसों का नाम दर्ज किया जाने हेतु उक्त निर्णय पारित किया जाकर पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अपने निश्चित आपत्ति पेशी दिनांक 28.06.2026 तक मालकान में अपने उपस्थित होकर या अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से पेश कर सकता है। अपनी विधिक के बाद प्राप्त होने वाली आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
जारी दिनांक- 18.06.2026
पेशी दिनांक- 28.06.2026
जारी किया- तहसील कार्यालय वारासिवनी
तहसीलदार
वारासिवनी, जिला बालाघाट

आम सूचना
मेरे पक्षकार श्रीमती पुष्पा पति स्व. श्री सुरेश कुमार भदावल पता कार्यालय 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) के द्वारा मेरे पास आकर बताया कि उनके पति स्व. श्री सुरेश कुमार भदावल पिता स्व. श्री मनोहरलाल भदावल (गारंटीदाता/ संपत्ति गारंटीदाता/संपत्ति बंधककर्ता (बंधककर्ता) कानूनी वारिस के माध्यम से 1. श्री. मनकलाल भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 2. श्री. ज्ञानेश्वर भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 3. श्री. मंगल कुमार भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल -वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 4. श्रीमती. संतोषबाई भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 5. श्रीमती जैसरा भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 6. श्रीमती मनोज भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 7. श्री. सुशील कुमार भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 8. और अन्य भदावल कानूनी वारिस संबंधित शाखा: कन्हारी
मेरे पक्षकार श्रीमती पुष्पा पति स्व. श्री सुरेश कुमार भदावल पता कार्यालय 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) के द्वारा मेरे पास आकर बताया कि उनके पति स्व. श्री सुरेश कुमार भदावल पिता स्व. श्री मनोहरलाल भदावल (गारंटीदाता/ संपत्ति गारंटीदाता/संपत्ति बंधककर्ता (बंधककर्ता) कानूनी वारिस के माध्यम से 1. श्री. मनकलाल भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 2. श्री. ज्ञानेश्वर भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 3. श्री. मंगल कुमार भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल -वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 4. श्रीमती. संतोषबाई भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 5. श्रीमती जैसरा भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 6. श्रीमती मनोज भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 7. श्री. सुशील कुमार भदावल पिता स्व श्री. जैसराम भदावल वार्ड नंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 8. और अन्य भदावल कानूनी वारिस संबंधित शाखा: कन्हारी
के नाम से कोई भी व्यक्ति या